

## न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुणा बनाम पतर, मालासिंह पी० रामचन्द्र शाह  
प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- 38/22

निर्णय दिनांक :- 1/5/22

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शनीला  
की आ.ख.न. 125 कुल रकबा 0-68 किस्म जमीन गिहू में से 0.02  
रकबे पर श्री पतर, मालासिंह पी० रामचन्द्र पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर पेकर  
कासन्दी कर कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का अरुणा द्वारा दिनांक 6/5/22  
को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय तार्द  
भू.अ.निरी. दरौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया  
जाकर अतिक्रमी पतर, मालासिंह पी० जाति पार निवासी शनीला को भू.  
राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील  
कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी  
उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबवा आ.ख.न. 125 रकबा 0-68 में से 0.02 है  
रकबे किस्म गिहू पेकर है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा वैरसायस को अतिक्रमित  
रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं दण्ड स्वरूप लगान 37 Paisa का  
50 गुणा 18/5 रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मावा कायमी हेतु टीआरए को लिखा  
जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुणा भू.अ.निरी. दरौदा  
को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्यायालय में  
सुनाया गया।

महेश  
तहसीलदार कठूमर (अलवर)

तहसीलदार  
कठूमर, अलवर (राज.)